रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233550
CG-DL-E-17022022-233550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 2022/माघ 28, 1943
No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 2022/MAGHA 28, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2022

फा. सं. 13018/04/2021-एआईएस(I).—भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 02.02.2022 के भाग **I**, खण्ड 1 में प्रकाशित सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के नियमों में निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः-

1. क्रम संख्या (XIX) के नीचे क्रम संख्या (XX) पर, प्रतिभागी सेवाओं की सूची में निम्नलिखित जोड़ा जाता हैः-

"(XX) भारतीय रेल प्रबंधन सेवा, ग्रुप 'क'"

2. क्रम संख्या (19) के नीचे क्रम संख्या (20) पर नियमों के परिशिष्ट-**II** में निम्नलिखित जोड़ा जाता हैः-

"20 **भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (भा.रे.प्र.से.), ग्रुप 'क'**"

(क) परिवीक्षा – भा.रे.प्र.से. में भर्ती किए गए उम्मीदवार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसके दौरान उन्हें 02 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि किन्हीं कारणवश प्रशिक्षण संतोषजनक ढंग से पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि बढ़ायी जाती है तो परिवीक्षा की कुल अवधि तद्नुसार बढ़ायी जाएगी। यहां तक कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा की कुल अवधि यथाविचारित बढ़ायी जाएगी।

(ख) प्रशिक्षण - सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर विशेष सेवा/पद के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और इस तरह से और इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ग) नियुक्ति समाप्त करना –

(i) परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति को परिवीक्षा की अवधि के दौरान लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर, किसी भी ओर से, समाप्त किया जा सकता है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात्, अनुशासनिक उपाय के रूप में बर्खास्तगी या सेवा से हटाने और मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में इस प्रकार की सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, सरकार के पास इन सेवाओं को तत्काल समाप्त करने का अधिकार है।

(ii) यदि सरकार की राय में, किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक पाया जाता है या यह पता चलता है कि उसके कार्यकुशल होने की संभावना नहीं है, तो सरकार उसे कार्य-मुक्त कर सकती है या उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई हो, वापस भेज सकती है।

(iii) विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं होने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। परिवीक्षा की अवधि के भीतर हिंदी में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर या अनुमोदित मानक प्राप्त नहीं करने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(घ) स्थायीकरण - परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर और सभी निर्धारित विभागों तथा हिन्दी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर, परिवीक्षाधीन अधिकारी को सभी प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाने पर, सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा।

(ङ.) वेतनमान – भारतीय रेल प्रबंधन सेवा :—

क्र.सं.	ग्रेड	लेवल/वेतनमान
1	कनिष्ठ वेतनमान	लेवल-10 (रु. 56,100 – 1,77,500)
2	वरिष्ठ वेतनमान	लेवल-11 (रु. 67,700 – 2,08,700)
3	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	लेवल-12 (रु. 78,800 – 2,09,200)
4	अकृत्यिक वरिष्ठ ग्रेड	लेवल-13 (रु. 1,23,100 – 2,15,900)
5	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	लेवल-14 (रु. 1,44,200 – 2,18,200)
6	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड	लेवल-15 (रु. 1,82,200 – 2,24,100)
7	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड +	लेवल-16 (रु. 2,05,400 – 2,24,400)
8	शीर्ष स्तर	लेवल-17 (रु. 2,25,000)

परिवीक्षाधीन अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम पर सेवा शुरू करेंगे और उन्हें छुट्टी, पेंशन और समयमान पर वेतनवृद्धि के लिए परिवीक्षावधि की गणना करने की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार महंगाई और अन्य भत्ते स्वीकार्य होंगे। परिवीक्षा की अवधि के दौरान विभागीय और अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं होने के परिणामस्वरूप वेतनवृद्धि को रोका जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है।

(च) प्रशिक्षण लागत की धन-वापसी - यदि किसी कारण से, सरकार की राय में, परिवीक्षाधीन अधिकारियों के नियंत्रण से परे नहीं है, तो परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से हटना चाहता है, तो वह उन्हें भुगतान किए गए धन को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें वेतन और भत्ते, नियुक्ति के लिए कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा व्यय और सभी खर्च जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए होंगे या किए गए हो सकते हैं, शामिल हैं। इस प्रयोजनार्थ परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक बांड भरना होगा, जिसकी एक प्रतिलिपि उनके नियुक्ति प्रस्ताव के साथ

संलग्न की जाएगी। तथापि, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि में नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण लागत वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(छ) छुट्टी - सेवा के अधिकारी समय समय पर लागू-छुट्टी नियमों के अनुसार छुट्टी के लिए पात्र होंगे।

(ज) चिकित्सा परिचर्या - अधिकारी समय समय पर लागू नियमों के अनुसार चिकित्सा-परिचर्या और उपचार के लिए पात्र होंगे।

(झ) पास और विशेषाधिकार टिकट आदेश - अधिकारी समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार निशुल्क रेल पास और विशेषाधिकार टिकट आदेशों के लिए पात्र होंगे।

(ञ) भविष्य निधि और पेंशन - सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवार, केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।

(ट) सेवा/पद में भर्ती किए गए उम्मीदवारों को किसी भी रेलवे या परियोजना में भारत में या भारत से बाहर कहीं भी तैनात किया जा सकता है।"

3. नियमों के परिशिष्ट –**III** में, विनियम 7(क)(3) के नीचे निम्नलिखित विनियम 7 (क)(4) को जोड़ा जाता है:-

"7 (क**)(4)** भारतीय रेल प्रबंधन सेवा, ग्रुप - क"

4. नियमों के परिशिष्ट –**III** में, विनियम 8(3) में निम्नलिखित को जोड़ा जाता है:-

सेवा	लिंग	कद	छाती का पूरा घेरा	फैलाव
भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस), ग्रुप – 'क'	पुरुष	152 सेमी$	84 सेमी	5 सेमी
	महिला	150 सेमी$	79 सेमी	5 सेमी
	ट्रांसजेंडर	150 सेमी$	79 सेमी	5 सेमी

$ अनुसूचित जनजाति और गोरखा, गढ़वाली, असमी, कुमाउंनी, नागालैंड जनजाति आदि जैसे वर्ग के उम्मीदवारों, जिनका औसत कद प्रत्यक्ष रूप से कम होता है, के लिए न्यूनतम कद में छूट निम्नानुसार है:

पुरुष– 150 सेमी

महिला – 148 सेमी

ट्रांसजेंडर - 148 सेमी

5. नियमों के परिशिष्ट –**III** में, विनियम 8 (7)(**iv**) के नीचे द्वितीय फुटनोट (**) में 'सेवा' शब्द के बाद 'आईआरएमएस' शब्द जोड़ा जाता है।

6. नियमों के परिशिष्ट–**III** में, विनियम **8 (7)(vi)(**क) में 'अन्य पुलिस सेवाओं,' शब्द के बाद 'आईआरएमएस' शब्द जोड़ा जाता है।

7. नियमों के परिशिष्ट –**IV** में बेंचमार्क ,दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिह्नित की गई सेवाओं की सूची में क्रम सं) .16) .के नीचे क्रम सं (17 में निम्नलिखित को (जोडा जाता है:-

क्र.सं.	सेवा का नाम	श्रेणी के लिए चिह्नित	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	भारतीय रेल प्रबंधन सेवा	चलन दिव्यांगता	सीपी/एलसी/एएवी सहित ओए अथवा ओएल	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, पीपी, एच

निला मोहनन, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2022

F. No. 13018/04/2021-AIS(I).—In the Rules for the Civil Services Examination, 2022 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary dated 02.02.2022, the following shall be added:-

1. The following is inserted at Sl. No. (XX) below the Sl. No. (XIX) in the list of Participating Services:-

"(XX) Indian Railway Management Service, Group 'A'"

2. In Appendix-II of the Rules, the following is inserted at Sl. No. (20) below Sl. No. (19):-

"**20. Indian Railway Management Service (IRMS), Group 'A'**

(a) Probation - Candidates recruited to IRMS will be on probation for a period of two years during which they will undergo training for 02 years. If the period of training has to be extended in any case due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended. Even if the work during the period of probation in the working is found not to be satisfactory, the total period of probation will be extended as considered.

(b) Training - All the probationers will be required to undergo training for a period of 02 years in accordance with the prescribed training syllabus for the particular Service/post at such places and in such manner and pass such examination during this period as the Government may determine from time to time.

(c) Termination of appointment –

(i) The appointment of probationers can be terminated by three months' notice in writing on either side during the period of probation. Such notice is not, however, required in cases of dismissal or removal as a disciplinary measure after compliance with the provisions of clause (2) of Article 311 of the Constitution and compulsory retirement due to mental or physical incapacity. The Government, however, reserve the right to terminate the services forthwith.

(ii) If in the opinion of the Government, the work or conduct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient. Government may discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any.

(iii) Failure to pass the departmental examinations may result in termination of services. Failure to pass the examination in Hindi or an approved standard within the period of probation shall involve liability to termination of services.

(d) Confirmation - On the satisfactory completion of the period of probation and on passing all the prescribed department and Hindi examinations, the probationer will be confirmed in the Junior Scale of the Service if they are considered fit for appointment in all respects.

(e) Scale of pay - Indian Railway Management Service :—

Sl. No.	Grade	Level/Pay Scale
1	Junior Scale	Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500)
2	Senior Scale	Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700)
3	Junior Administrative Grade	Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200)

4	Non-Functional Senior Grade	Level-13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900)
5	Senior Administrative Grade	Level-14 (Rs. 1,44,200 - 2,18,200)
6	Higher Administrative Grade	Level-15 (Rs. 1,82,200 - 2,24,100)
7	Higher Administrative Grade+	Level-16 (Rs. 2,05,400-2,24,400)
8	Apex Level	Level-17 (Rs. 2,25,000)

A probationer will start on the minimum of Junior Scale and will be permitted to count the period spent on probation towards leave, pension and increments in time scale. Dearness and other allowances will be admissible in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time. Failure to pass the departmental and other examinations during the period of probation may result in stoppage or postponement of increments.

(f) Refund of the Cost of Training - If for any reason, which, in the opinion of the Government, are not beyond the control of the probationers, a probationer, wishes to withdraw from training or probation he shall be liable to refund any moneys paid to him, including the pay and allowances, travelling expenses to join appointment and all expenses that shall or may have been incurred by the Central Government for the Probationary Training. For this purpose Probationers will be required to execute a bond, a copy of which will be enclosed along with their offers of appointment. The Probationers permitted to apply for appointment to Indian Administrative Service, Indian Foreign Service etc. will not however, be required to refund the cost of training.

(g) Leave - Officers of the Service will be eligible for leave in accordance with the Leave Rules in force from time to time.

(h) Medical attendance - Officers will be eligible for medical attendance and treatment in accordance with the Rules in force from time to time.

(i) Passes and Privilege Ticket Order - Officers will be eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the Rules in force from time to time.

(j) Provident Fund and Pension - Candidates recruited to the Service will be governed by the New Pension Scheme of the Central Government.

(k) Candidates recruited to the Service/post are liable to serve in any Railway or Project in or out of India."

3. In Appendix-III of the Rules, the following Regulation 7(A)(4) is inserted below the Regulation 7(A)(3):-

"7(A)(4) Indian Railway Management Service, Group-'A'"

4. In Appendix-III of the Rules, the following is added to Regulation 8(3):-

Service	Gender	Height	Chest girth fully expanded	Expansion
Indian Railway Management Service (IRMS), Group 'A'	Men	152 cm $	84 cm	5 cm
	Women	150 cm$	79 cm	5 cm
	Transgender	150 cm$	79 cm	5 cm

$ The following relaxed minimum height is prescribed in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Kumaonis, Nagaland Tribal etc. whose average height is distinctly lower.

Men —150 cm.

Women —148 cm.

Transgender — 148 cm.

5. In Appendix-III of the Rules, the words 'IRMS and' are inserted after the word 'Service' and before the word 'IRPFS' in the 2nd footnote (**) below Regulation 8(7)(iv).

6. In Appendix-III of the Rules, the word 'IRMS' is inserted after the words 'Other Police Services,' and before

the words 'and IRPFS' in the Regulation 8(7)(vi)(a).

7. In Appendix-IV of the Rules, the following is inserted at Sl. No. (17) below Sl. No. (16) in the list of Services identified suitable for Persons with Benchmark Disability:-

Sl. No.	Name of the Service	Category(ies) for which Identified	Functional Classification	Physical Requirements
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Indian Railway Management Service	Locomotor Disability	OA or OL including CP/LC/AAV	S, ST, BN, W, SE, MF, C, RW, PP, H

NILA MOHANAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.17 14:52:30 +05'30'